"बिज़नेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 88] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 मार्च 2006—फाल्गुन 30, शक 1927

संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

अधिसूचना

क्रमांक 300 फा. 2 (1) 05/48/सं. का.—छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 5-क एवं 9 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,—

नियम 3 के उपनियम (1-क क क) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"परन्तु प्रत्येक सदस्य अकेले या एक और व्यक्ति के साथ अधिकतम रुपये पच्चासी हजार किराए की सीमा तक हवाई यात्रा कर सकेगा, ऐसे सदस्य उपरोक्त किराए की सीमा तक किसी हवाई यात्रा योजना का लाभ ले सकेगा. रेल एवं हवाई यात्रा पर व्यय एक वित्तीय वर्ष में रुपये एक लाख पच्चीस हजार से अधिक का नहीं होगा. सदस्य ऐसी सुविधा के लिए दिनांक 15 फरवरी, 2005 से हकदार होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 21 मार्च 2006

क्रमांक 301/एफ-2 (1) 05/48/सं. का.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा भत्ता नियम, 1957 में संशोधन का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Raipur, the 21st March 2006

NOTIFICATION

No. 300/F.2 (1) 05/48/P.A.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and Section 5-A of the Chhattisgarh Vidhan Sabha Sadsya Vetan Bhatta Tatha Pension Adhiniyam, 1972 (No. 7 of 1973), the State Government hereby amend the Chhattisgarh Vidhan Mandal Yatra Bhatta Rule, 1957, namely :—

AMENDMENT

In the above rule,—

For first proviso to sub-rule (1-AAA) of Rule 3, the following shall be substituted, namely—

"Provided that every member may travel by air alone or with any person accompanying with the fare limits of Rupees Eighty Five Thousand. Member may take the benefits of any air package scheme within such fare limit. The expenditure on the journey performed by rail and air shall not exceed Rupees One Lac Twenty Five Thousand in a financial year. Members shall be entitled for such facilities from 15th February, 2005."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.